2023 का विधेयक सं.28

राजस्थान समाज-विरोधी क्रियाकलाप निवारण संशोधन) विधेयक, 2023

जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुर:स्थापित किया जायेगा)

राजस्थान समाज-विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम, 2006 को संशोधित करने के लिए विधेयक।

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान - मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता हैं:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- 1) इस अधिनियम का नाम राजस्थान समाज-विरोधी क्रियाकलाप निवारण संशोधन) अधिनियम, 2023 है।

2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. 2008 के राजस्थान अधिनियम सं.1 की धारा 2 का संशोधन.- राजस्थान समाज-विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम, 2006 2008 का अधिनियम सं . 1), जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 2 में,-

i) खण्ड क) में, विद्यमान अभिव्य क्ति □जिला मजिस्ट्रेट" के पश्चात् और विद्यमान अभिव्यक्ति □अभिप्रेत है" के पूर्व, अभिव्यक्ति □या कोई पुलिस आयुक्त" अंत:स्थापित की जायेगी;

ii) विद्यमान खण्ड ख) के पश्चा त् और विद्यमान खण्ड ग) से पूर्व, निम्निलिखित नया खण्ड अंत:स्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

□खख) □पुलिस आयुक्त" से राजस्थान पुलिस अधिनियम, 2007 2007 का अधिनियम सं. 14) की धारा 15 के अनुसार राज्य सरकार द्वारा नियुक्त पुलिस अधिकारी अभिप्रेत है;" और

iii) खण्ड छ) में, विद्यमान अभिव्य क्ति □, किन्तु इसमें एकाकी, अकेले और असमान कार्य या लोप सम्मिलित नहीं हैं" हटायी जायेगी।

3. 2008 के राजस्थान अधिनियम सं.1 की धारा 3 का संशोधन.- मूल अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा 2) में, विद्यमान अभिव्यक्ति □जिला मजिस्ट्रेट की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर किसी भी क्षेत्र में विद्यमान या संभाव्यत: विद्यमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार का यह समाधान हो जाये कि ऐसा किया जाना आवश्यक है जो वह लिखित आदेश द्वारा यह निर्देश दे सकेगी कि जिला मजिस्ट्रेट" के स्थान पर अभिव्यक्ति □जिला मजिस्ट्रेट या पुलिस आयुक्त की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर किसी भी क्षेत्र में विद्यमान या संभाव्यत: विद्यमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार का यह समाधान हो जाये कि ऐसा किया जाना आवश्यक है, तो वह लिखित आदेश द्वारा यह निदेश दे सकेगी कि जिला मजिस्ट्रेट या पुलिस आयुक्त" प्रतिस्थापित की जायेगी।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

राजस्थान समाज-विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम, 2006 2008 का अधिनियम सं. 1) समाज-विरोधी तत्वों को निरुद्ध करके शांति और व्यवस्था को बनाये रखने में अत्यंत उपयोगी रहा है। उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा 2) जिला मजिस्ट्रेट को अधिनियम के अधीन कतिपय व्यक्तियों को निरुद्ध करने का आदेश जारी करने की शक्तियों का उपयोग करने के लिए अनुज्ञात करती है।

गृह ग्रुप -1) विभाग अधिसूचना एफ.189)गृह -1/ 2006 पार्ट-2 दिनांक 04.01.2011 के द्वारा, पुलिस आयुक्त को किसी महानगरीय क्षेत्र के संबंध में, उक्त अधिनियम के अधीन अभी तक जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्रयोग की जाने वाली शक्तियों का प्रयोग करने के लिए सशक्त किया गया।

इस दौरान, माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर, राजस्थान ने डी. बी. बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिट याचिका सं. 235/ 2016 राजेश शर्मा @ राजू पंडित बनाम राजस्थान राज्य और अन्य के आदेश दिनांक 31 मार्च, 2017 में अवधारित किया कि पुलिस आयुक्त को न्यस्त की गयी जिला मजिस्ट्रेट की शक्तियां दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 के उपबंधों के अनुसार नहीं हैं। इस प्रकार उपरोक्त अधिसूचना को अकृत कर दिया गया।

तथापि, राज्य के तेजी से विकास के साथ, महानगरीय क्षेत्र में अपराधियों ने आपराधिक जीवन जीना शुरू कर दिया है और समाज-विरोधी क्रियाकलापों में लिप्त हो रहे हैं और अपराध की दरें गंभीर रूप से बढ़ रही हैं। इस प्रकार समय की यह मांग है कि कानून और व्यवस्था बनाये रखने के लिए पुलिस आयुक्त को जिला मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्रदान की जायें, और जनता का बचाव और सुरक्षा सुनिश्चित की जाये।

इसलिए, उक्त अधिनियम में, पुलिस आयुक्त की परिभाषा अंत:स्थापित करते हुए इसे संशोधित किये जाने की आवश्यकता है और इसमें पारिणामिक संशोधन किये जाने भी प्रस्तावित हैं।

यह विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए ईप्सित है।

अत: विधेयक प्रस्तुत है।

अशोक गहलोत,
प्रभारी मंत्री।

राजस्थान समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम, 2006

2008 का अधिनियम सं. 1) से लिये गये उद्धरण

XX XX XX XX XX XX

2. परिभाषएं.- इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,-

क) **प्राधिकृत अधिकारी** से धारा 3 की उप-धारा 1) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिए उस धारा की उप-धारा 2) के अधीन प्राधिकृत कोई जिला मजिस्ट्रेट अभिप्रेत है;

ख) से च) XX XX XX XX

छ) **आभ्यासिक** में, उसके समस्त व्याकरणिक रूपभेदों सहित, ऐसे कार्य और लोप सम्मिलित हैं जो बार-बार निरन्तर और प्राय: किये जाते हैं और जिनमें एक समान पुनरावृत्तिपूर्ण कार्यों या लोपों की सूत्रबद्धता है, किन्तु इसमें एकाकी, अकेले और असमान कार्य या लोप सम्मिलित नहीं है;

ज) **से** ञ) XX XX XX XX X**X**

XX XX XX XX XX XX

3. कतिपय व्यक्तियों को निरुद्ध करने के आदेश करने की शक्ति.- 1) XX

2) यदि, किसी जिला मजिस्ट्रेट की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर किसी भी क्षेत्र में विद्यमान या संभाव्यत: विद्यमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, राज्य सरकार का यह समाधान हो जाये कि ऐसा किया जाना आवश्यक है जो वह लिखित आदेश द्वारा यह निर्देश दे सकेगी कि जिला मजिस्ट्रेट भी, यदि उसका उप-धारा 1) के अधीन उपबंधितानुसार समाधान हो जाये तो, उक्त उप-धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा।

3) से 4) XX XX XX XX X**X**

XX XX XX XX XX XX

Bill No.28 of 2023

(Authorised English Translation)

THE RAJASTHAN PREVENTION OF ANTI-SOCIAL ACTIVITIES (AMENDMENT) BILL, 2023

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

A

Bill

to amend the Rajasthan Prevention of Anti-social Activities Act, 2006.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Seventy-fourth Year of the Republic of India, as follows:-

1. Short title and commencement.- (1) This Act may be called the Rajasthan Prevention of Anti-social Activities (Amendment) Act, 2023.

(2) It shall come into force at once.

2. Amendment of section 2, Rajasthan Act No. 1 of 2008.- In section 2 of the Rajasthan Prevention of Anti-social Activities Act, 2006 (Act No. 1 of 2008), hereinafter referred to as the principal Act,-

(i) in clause (a), after the existing expression "District Magistrate" and before the existing expression "authorized under", the expression "or a Commissioner of Police" shall be inserted;

(ii) after the existing clause (b) and before the existing clause (c), the following new clause shall be inserted, namely:-

"(bb) "Commissioner of Police" means the police officer appointed by the State Government in accordance with section 15 of the Rajasthan Police Act, 2007 (Act No. 14 of 2007); and

(iii) in clause (g), the existing expression "but shall not include isolated, individual and dissimilar acts or omissions" shall be deleted.

3. **Amendment of section 3, Rajasthan Act No. 1 of 2008**.- In sub-section (2) of section 3 of the principal Act, for the existing expression "a District Magistrate, the State Government is satisfied that it is necessary so to do, it may, by order in writing, direct that the District Magistrate,", the expression "a District Magistrate or a Commissioner of Police, the State Government is satisfied that it is necessary so to do, it may, by order in writing, direct that the District Magistrate or the Commissioner of Police," shall be substituted.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Rajasthan Prevention of Anti-social Activities Act, 2006 (Act No. 1 of 2008) has been immensely useful in maintaining peace and order by detaining the anti-social elements. Sub-section (2) of section 3 of the said Act, allows the District Magistrate to use the powers to make orders detaining certain persons under the Act.

Home (Group-1) Department vide notification F.18(9)Home-1/2006 Part-II Dated 04.01.2011 empowered Commissioner of Police to exercise in relation to a metropolitan area are the powers so far exercisable by the District Magistrate under the said Act.

Meanwhile, the Hon'ble High Court, Jaipur, Rajasthan in D. B. Habeas Corpus Writ Petition No. 235/2016 Rajesh Sharma @ Raju Pandit Vs State of Rajasthan and Ors. vide order dated March 31, 2017 determined that the powers of District Magistrate entrusted to Commissioner of Police are not as per provisions of Code of Criminal Procedure, 1973. Thus nullifying the above notification.

However, with the rapid growth of the State, criminals in the metropolitan area have started pursuing a life in crime and indulging in anti-social activities and the crime rates have been severely increasing. Thus, it is the need of time to empower the powers of the District Magistrate to Commissioner of Police to maintain law and order, and ensuring safety and security of public.

The said Act is therefore, required to be amended by inserting therein the definition of Commissioner of Police and also proposed to make consequential amendments therein.

The Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

Hence this Bill.

अशोक गहलोत,
Minister Incharge.

EXTRACTS TAKEN FROM THE RAJASTHAN PREVETION OF ANTI-SOCIAL ACTIVITIES ACT, 2006
(Act No. 1 of 2008)

XX XX XX XX XX XX

2. Definitions.- In this Act, unless the context otherwise requires.-8. Penalties for contravention of Act and Rules thereunder.–

(a) "authorized officer" means a District Magistrate authorized under subsection (2) of section 3 to exercise the powers conferred under sub-section (1) of that section;

(b) to (f) xx xx xx xx xx

(g) "habitual", with all its grammatical variations, includes acts or omissions committed repeatedly, persistently and frequently having a thread of continuity stringing together similar repetitive acts or omission but shall not include isolated, individual and dissimilar acts or omissions;

(h) to (j) xx xx xx xx xx

3. Power to make orders detaining certain persons.- (1) xx xx

(2) If, having regard to the circumstances prevailing or likely to prevail in any area within the local limits of the jurisdiction of a District Magistrate, the State Government is satisfied that it is necessary so to do, it may, by order in writing, direct that the District Magistrate, may also, if satisfied as provided in sub-section (1), exercise the powers conferred by the said sub-section.

(3) to (4) xx xx xx xx xx

XX XX XX XX XX XX

Bill No. 28 of 2023

THE RAJASTHAN PREVENTION OF ANTI-SOCIAL ACTIVITIES (AMENDMENT) BILL, 2023

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

RAJASTHAN LEGISLATIVE ASSEMBLY

A

Bill

to amend the Rajasthan Prevention of Anti-social Activities Act, 2006.

(To be introduced in the Rajasthan Legislative Assembly)

MAHAVEER PRASAD SHARMA,
Principal Secretary.

(Ashok Gehlot, **Minister-Incharge**)

2023 का विधेयक सं. 28

राजस्थान समाज-विरोधी क्रियाकलाप निवारण संशोधन) विधेयक, 2023

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

राजस्थान विधान सभा

राजस्थान समाज-विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम, 2006 को संशोधित करने के लिए विधेयक।

(जैसाकि राजस्थान विधान सभा में पुरःस्थापित किया जायेगा)

महावीर प्रसाद शर्मा,
प्रमुख सचिव।

(अशोक गहलोत, **प्रभारी मंत्री)**